न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेत कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 56 सन 2018

अनवान :–

1. हवासिह पुत्र नत्थराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. कृष्ण कुमार 3. रामगोपाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 20.3.2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 11 एनटीआर– बी के खाता संख्या 26/21 के प0न0 385/426 (16) के किला न0 16/0.2530 ,17/0.2530 ,19 ,19/0.506 ,22/0.1130 ,23/0.1130 , 24/0.1130 ,25/0.1260 , प0न0 386/426(77) के किला न0 14 ता 25/2.4640 , कुल 3.9410हैक भूमि जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की 5.17 बीघा भूमि बहिब के खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी की सकुनत रामगढ अंकित की गई है।

रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता सख्या 26/21 की भूमि जरिये बेयनामा खरीद की गई थी जिसमे वादी की सकुनत उज्जलवास अंकित है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी व तरतीबी प्रतिवादी की सकुनत रामगढ दर्ज है जो गलत तौर से दर्ज की गई है वादी अपनी सकुनत सही तौर से उज्जलवास राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहता है।

वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की सकुनत राजस्व रिकार्ड मे गलत तौर से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाए जैसे किसान क्रेडिट कार्ड , खाद बीज का ऋण आदि में परेशानी होती है वादी की सकुनत राजस्व रिकार्ड में सही करने से किसी भी सयुक्त खातेदार के हिस्से में परिर्वतन नही होता है ना ही राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी होती है।

वादी के समस्त दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , भामाशाह कार्ड सभी में वादी की सकुनत उज्जलवास दर्ज है ।

वादी ने कई मर्तता प्रतिवादी संख्या 1 को राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की सकुनत राजस्व रिकार्ड में सशोधन हेतु निवेदन किया तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 एनटीआर – बी के खाता संख्या 26/21 में वादी की सकुनत रामगढ के स्थान पर उज्जलवास संशोधन करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें ।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिसटर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से पेरोकार राज उपसिथत होकर जबाब पेश किया की की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का निवास स्थान दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 एनटीआर– बी के खाता संख्या 26/21 के प0न0 385/426 (16) के किला न0 16/0.2530 ,17/0.2530 ,19 ,19/0.506 ,22/0.1130 ,23/0.1130 , 24/0.1130 ,25/0.1260 , प0न0 386/426(77) के किला न0 14 ता 25/2.4640 ,

Scanned with CamScanner

कुल 3.9410हैक भूमि जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की 5.17 बीघा भूमि बहिब के खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी की सकुनत रामगढ अंकित की गई है।

रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता सख्या 26/21 की भूमि जरिये बेयनामा खरीद की गई थी जिसमे वादी की सकुनत उज्जलवास अंकित है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी व तरतीबी प्रतिवादी की सकुनत रामगढ दर्ज है जो गलत तौर से दर्ज की गई है वादी अपनी सकुनत सही तौर से उज्जलवास राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की सकुनत राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाए जैसे किसान क्रेडिट कार्ड , खाद बीज का ऋण आदि में परेशानी होती है वादी की सकुनत राजस्व रिकार्ड में सही करने से किसी भी सयुक्त खातेदार के हिस्से में परिर्वतन नही होता है ना ही राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी होती है।

वादी के समस्त दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , भामाशाह कार्ड सभी में वादी की सकुनत उज्जलवास दर्ज है वादी का वाद डिक्री फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक 11 एनटीआर– बी के खाता संख्या 26/21 के प0न0 385/426 (16) के किला न0 16/0.2530 ,17/0.2530 ,19 ,19/0.506 ,22/0.1130 ,23/0.1130 , 24/0.1130 ,25/0.1260 , प0न0 386/426(77) के किला न0 14 ता 25/2.4640 , कुल 3.9410हैक भूमि जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बतौर खातेदार काश्तकार सयुक्त खाता में दर्ज है जिसमें वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की सकुनत रामगढ अंकित है।

वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने वाद भूमि जरिये बेयनामा खरीद की गई थी बैयनामा में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की सकुनत उज्जलवास तहसील नोहर अंकित है।

वादी का कथन है कि उसकी सही सकुनत उज्जलवास है सहवन से राजस्व रिकार्ड में अंकन करते समय रामगढ अंकित हुई है जिसे संशोधन करवाना चाहता है बैयनामा के अनुसार वादी का कथन सही प्रतित होता है। वादी की सकुनत राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से सयुक्त खातेदारों को किसी प्रकार का प्रभाव नही होगा ना ही राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशाधन होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत बेयनामाएवं पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 एनटीआर– बी के खाता संख्या 26/21 के प0न0 385/426 (16) के किला न0 16/0.2530 ,17/0.2530 ,19 ,19/0.506 ,22/0.1130 ,23/0.1130 , 24/0.1130 ,25/0.1260 , प0न0 386/426(77) के किला न0 14 ता 25/2.4640 , कुल 3.9410हैक भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी की सकुनत रामगढ अंकित है के स्थान पर उज्ज्लवास संशोधन की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.3.20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. हवासिह पुत्र नत्थराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. कृष्ण कुमार 3. रामगोपाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 56 सन 2018 निर्णय दिनांक– 20.3.2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा चक 11 एनटीआर– बी के खाता संख्या 26/21 के प0न0 385/426 (16) के किला न0 16/0.2530 ,17/0.2530 ,19 ,19/0.506 ,22/0.1130 ,23/0.1130 , 24/0.1130 ,25/0.1260 , प0न0 386/426(77) के किला न0 14 ता 25/2.4640 , कुल 3.9410हैक भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी की सकुनत रामगढ अंकित है के स्थान पर उज्ज्लवास संशोधन की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.3.20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner